राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भौरीलाल बनाम विकास अधिकारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 537/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08/06/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 75 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा स्थित ग्राम मनोहरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित है उक्त वादग्रस्त आराजी मे वाद वादी विरूद्ध बाबत स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में दखल अंदाजी नहीं करें, न ही अवैध सड़क निर्माण करे, काश्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, न ही निर्माण सामग्री डालें, उक्त कार्यवाही प्रतिवादीगण न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व प्रतिवादी सं. 2 की रिर्पोट के आधार पर वादग्रस्त भूमि ख. नम्बर 75 का ई.डी.एस मशीन से टीम द्वारा मौके की नाप भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा कराई गई है, जो खसरा नं. 75 की नाप करने पर पाया गया की उक्त खसरे की नाप कराने पर रास्ते का क्षेत्रफल 75 वर्गमीटर दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 0. 01 हैक्टेयर से कम होने के कारण ईकाई शून्य मानी गया है। अतः दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा जनरल कैम्प बस्सी में नियत कर निर्णय दिनांक 30/06/2017 पारित करते हुये वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नही होना धारित करते हुये ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयां मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निन्य पारित किया गया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत होती है | ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भौरीलाल बनाम विकास अधिकारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

537/2017

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30/06/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर